सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 5871 / 1103 / 2016 दिनांक : 08.07.2016

के मामले में :

स्व–प्रेरणा से

बनाम

सचिव,
रेलवे बोर्ड, D127
रेल मंत्रालय,
नई दिल्ली–110001 ..... प्रतिवादी

आदेश

दैनिक जागरण समाचारपत्र में दिनांक 07.02.2016 को प्रकाशित समाचार "ट्रेन में दृष्टिहीन छात्रों को सिपाही ने पीटा" से संबंधित समाचार प्रकाशित हुआ । समाचार के अनुसार राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान के आठ दृष्टिबाधित छात्र देहरादून–हावडा एक्सप्रेस में विकलांगों के लिए आरक्षित कोच में यात्रा कर रहे थे । जब ट्रेन हरिद्वार पहुंची तो पुलिस की वर्दी में एक शख्स कोच में चढ़ा और सबको उतारने लगा । इस पर छात्रों ने आग्रह किया कि वे नेत्रहीन हैं और उन्हें सफर करने दिया जाए । इनकार करने पर उसने मारपीट शुरू कर दी और धक्के मार कर सभी को प्लेटफार्म पर उतारा और जमकर मारपीट की । बीचे–बचाव में जब सफर कर रही युवती आई तो उसे भी नहीं बख्शा ।

2. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भगीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 59 के तहत मुख्य आयुक्त को स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर या अन्यथ निःशक्त व्यक्तियों के हितों की हानि से संबंधित मामलों को देखने का प्रावधान है ।

3. मामला सचिव, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली के साथ इस न्यायालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.02.2016 द्वारा उठाया गया ।

4. मीडिया कन्सल्टेन्ट, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली को इस न्यायालय के पत्र समसंख्यक दिनांक

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

09.02.2016 द्वारा इस मामले में रिपोर्ट बनाते हुए इसे समाचारपत्र में प्रकाशित करने और उसकी एक प्रति इस न्यायालय को मुख्य आयुक्त की सूचनार्थ प्रेषित करने के लिए कहा गया ।

5. माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी के कार्यालय से उनके डायरी संख्या 253/ओएसडी/एम(एसजेएण्डई)2016 दिनांक 12.02.2016 के द्वारा श्री विकास शर्मा, चैयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक, डिसएबल्ड हेल्पलाइन फाउंडेशन की ई–मेल दिनांक 08.02.2016 द्वारा भेजा गया 'नेत्रहीनों के साथ रेल में की गई अभद्रता, बर्बरता के संदर्भ में शिकायतपत्र प्राप्त हुआ ।

6. प्रतिवादी ने अपने पत्र क्रमांक 2016/सेक(क्राइम)/41/0/यूपी–05 दिनांक 18.02.2016 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक/रेलवे, लखनऊ एवं अपर पुलिस महानिदेशक/रेलवे, देहरादून, उत्तराखण्ड को इस मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट इस न्यायालय को भेजने के लिए लिखा ।

7. उपरोक्त पैरा 6 में वर्णित अधिकारियों से काफी समय तक जांच रिपोर्ट प्राप्त न होने पर इस न्यायालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 02.05.2016 द्वारा स्मरण–पत्र भेजे गए ।

8. पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे/अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड ने अपने पत्रांक डीजी–अपराध–166/2016 दिनांक 09.05.2016 द्वारा मामले की जांच रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस अधीक्षक, रेलवे, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि पुलिस उपाधीक्षक, रेलवे, हल्द्वानी से जांच कराई गई । जांच अधिकारी द्वारा संबंधित पीड़ितों, जी.आर.पी.एस्कार्ट कर्मियों, आर.पी.एफ कर्मियों, रेलवे प्लेटफार्म, हरिद्वार में डयूटी पर नियुक्त कर्मियों, जी.आर.पी. लक्सर, नजीबाबाद, हरिद्वार में नियुक्त कर्मियों के बयान अंकित किए गए । साथ ही जी.आर.पी., आर.पी.एफ कर्मियों एव एस्कार्ट में नियुक्त जी.आर.पी. कर्मियों की पीड़ितों के सामने शिनाख्त परेड कराई गई, लेकिन पीड़ितों द्वारा किसी

...3/–

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाष: 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in

पुलिस कर्मी की आवाज की शिनाख्त नहीं की गई । विकलांगजन कोच में बगल में आर्मी कोच का डिब्बा भी था । बोईवाला स्टेशन पर एक व्यक्ति फौजी बताकर पैर में राड लगी होने से विकलांगजन डिब्बे में चढ़ रहा था । अन्दर से डिब्बा देर से खोला गया, जिससे उक्त व्यक्ति ने गाली–गलौच करके हरिद्वार में देख लेने की धमकी दी । डोईवाला से बैठे विकलांग फौजी द्वारा हरिद्वार में अपने सार्थियों के साथ इन दृष्टिहीनों के साथ बल प्रयोग करना प्रकाश में आया । दृष्टिहीन दिव्यांगों द्वारा लोगों के बयान अनुसार उनके साथ मारपीट करने वाले को पुलिस कर्मी समझा गया । उक्त घटना कीं जांच करने पर उत्तराखण्ड जीआरपी की संलिप्तता नहीं पाई गई ।

9. मामले के अभिलेख और प्रतिवादी से प्राप्त जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित करता है:–

(i) प्रतिवादी से प्राप्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी को माननीय मंत्री जी की जानकारी हेतू भेजी जाए ।

(ii) प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रत्येक रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर / जीआरपी पुलिस स्टेशन को इस संबंध में परिपत्र जारी करें कि भविष्य में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित कोच में इस प्रकार की घटनाएं घटित न होने पाएं ।

(iii) सभी राज्य आयुक्त दिव्यांगजन को पत्र लिखकर उनसे आग्रह / अनुरोध किया जाए कि वे अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी अपने क्षेत्र के मुख्य रेलवे स्टेशन पर मासिक / अर्ध मासिक अन्तराल पर आने–जाने वाली रेलगाड़ियों का औचक निरीक्षण करें ताकि दिव्यांगों के लिए प्रदत्त सुविधाओं के लाभ के दुरूपयोग को रोका

....4 / –

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

जा सके । यह निरीक्षण वे स्थानीय रेलवे एवं शासकीय रेलवे पुलिस अधिकारियों को साथ लेकर उनके सहयोग से करें ।

10. तदनुसार मामले का निपटारा किया जाता है ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त विकलांगजन

प्रतिलिपिः–

1. माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी को जांच रिपोर्ट की प्रति सहित माननीय मंत्री जी की जानकारी हेतु । D128
2. सचिव, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली–110001 को प्रत्येक रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर/जीआरपी पुलिस स्टेशन को उपरोक्त आदेश के संबंध में परिपत्र जारी करने के लिए। D129
3. सभी राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ।

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in